विजय शर्मा
Vijai Sharma

सचिव
भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
Secretary
Government of India
Ministry of Environment and Forests

सं. ई.-11014/12/2010-रा.भा.(का.)

दिनांक : 28 सितंबर, 2010

आदेश

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निरीक्षण के दौरान दिए गए निम्नलिखित निदेशों पर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाए :-

1. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में किया जाए ।

2. हिंदी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों और टंककों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए ।

3. सभी कंप्यूटर प्रणालियों पर अधिक से अधिक हिंदी में कार्य निष्पादित किया जाए तथा उच्च अधिकारी कंप्यूटरों पर हिंदी का प्रयोग करें ।

4. विज्ञापन पर होने वाले व्यय का कम से कम 50 % व्यय हिंदी माध्यम से विज्ञापन पर किया जाए। पुस्तकालय पर होने वाले व्यय का कम से कम 50 % व्यय हिंदी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि पर किया जाए ।

5. सभी प्रकार की विभागीय बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि की कार्यसूची/कार्यवृत द्विभाषी जारी किए जाएं ।

6. सभी प्रशिक्षण संस्थानों की संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री की हिंदी में तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ।

7. मंत्रालय की वेबसाइट का द्विभाषिकरण किया जाए ।

8. राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के मदवार लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए और हिंदी में 100 % पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाए । "क" और "ख" क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाएं । हिंदी में पूरा काम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप अनुभाग शीघ्र विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

9. संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर जारी महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

....2/-

पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110 003 फोन : 24360721, 24361896, फैक्स : (011) 24362746
PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110 003, Ph. : 24360721, 24361896, Fax : (011) 24362746
E-mail : vijai.sharma@nic.in

10. मंत्रालय की पत्रिका "पर्यावरण" का प्रत्येक तिमाही में प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

11. प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार को सारा कामकाज हिंदी में किया जाए ।

12. प्रत्येक महीने में कम से कम एक प्रभाग/अनुभाग में हिंदी में किए जा रहे काम-काज की स्थिति का निरीक्षण किया जाए ।

13. राजभाषा अधिनियम और नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ।

विजय शर्मा

(विजय शर्मा)
सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के
सभी अधिकारी, प्रभाग/अनुभाग/एकक,
सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त निकाय
और सार्वजनिक उपक्रम

प्रतिलिपि : सचिव, संसदीय राजभाषा समिति,
11-तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110011